

आवेदन पत्र शुल्क 500/- रुपये मात्र



जोधपुर विकास प्राधिकरण

श्री मण्डलनाथ आवासीय योजना

आवेदन पुस्तिका

कुल आवासीय भूखण्ड - 698

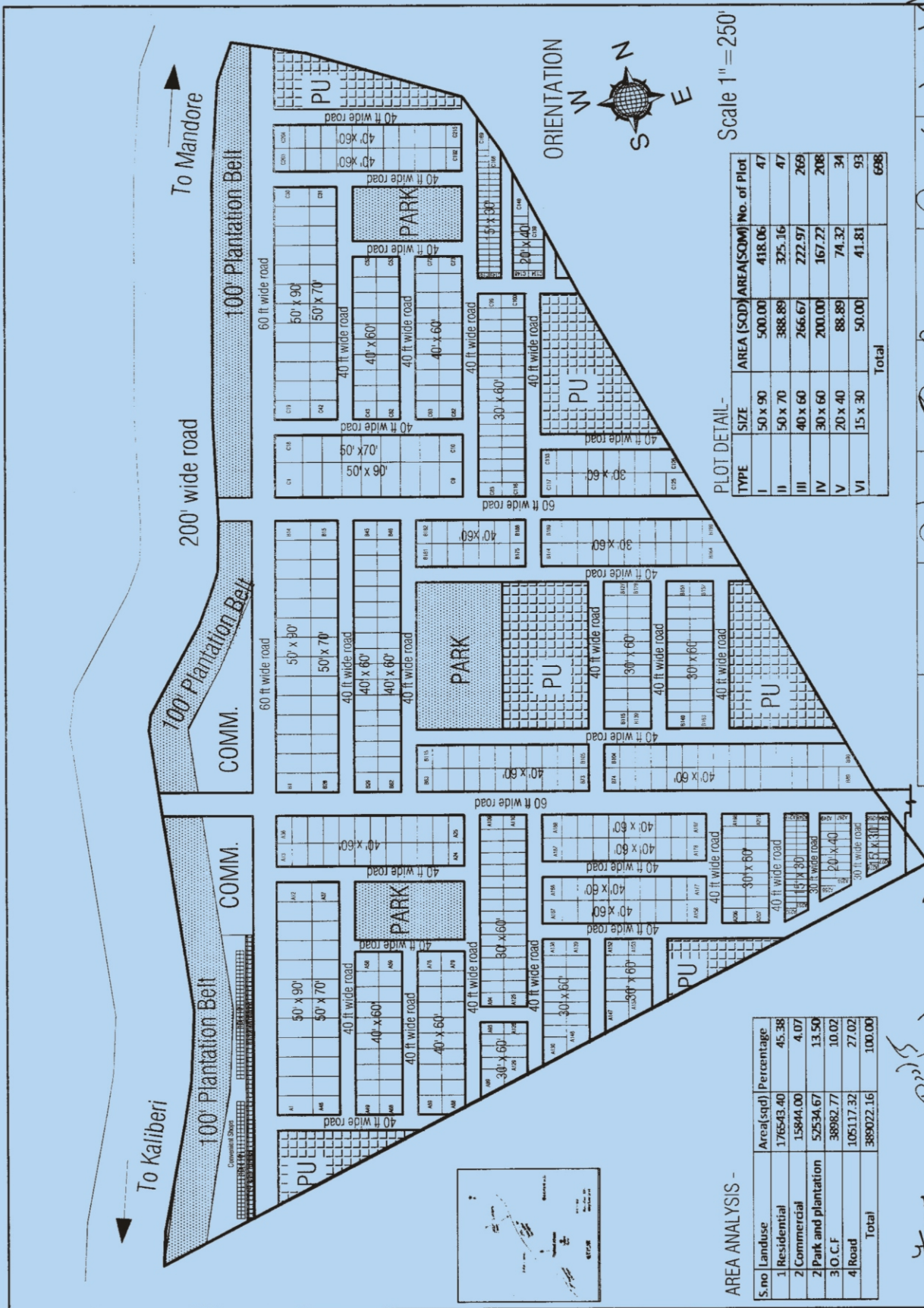
आवेदन पत्र का विक्रय आरम्भ करने की तिथि - 22.05.2015

आवेदन पत्र विक्रय की अंतिम तिथि - 10.06.2015

आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि - 18.06.2015



Proposed Residential Scheme at Kh. 93/10 Paldi Khichivan Jodhpur



Note: The layout has been prepared with reference to available approved layout of Institutional Scheme at kh. no. 80 and 93 at Paldi Khichiyan

मण्डलनाथ आवासीय योजना आम जनता को आवेदन करने हेतु प्रस्तुत है। योजना में आवंटन हेतु भूखण्डों की कुल संख्या 698 निर्धारित है, जिनकी संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा, जिसमें राज्य सरकार के नियमानुसार विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

श्री मण्डलनाथ आवासीय योजना (नागौर रोड़ जैसलमेर लिंक बाईपास रोड़ पर स्थित) की शर्तें, भूखण्डों की दर, भूखण्डों की साईज आदि बिन्दुओं का उल्लेख कर दिया गया है।

अतः उक्त योजना में आवेदन कर लाभ उठावें।

शुभकामनाओं सहित

रतन लाहोटी_{IAS}

अध्यक्ष

जोधपुर विकास प्राधिकरण
एवं संभागीय आयुक्त

जोगाराम सुथार_{IAS}

आयुक्त

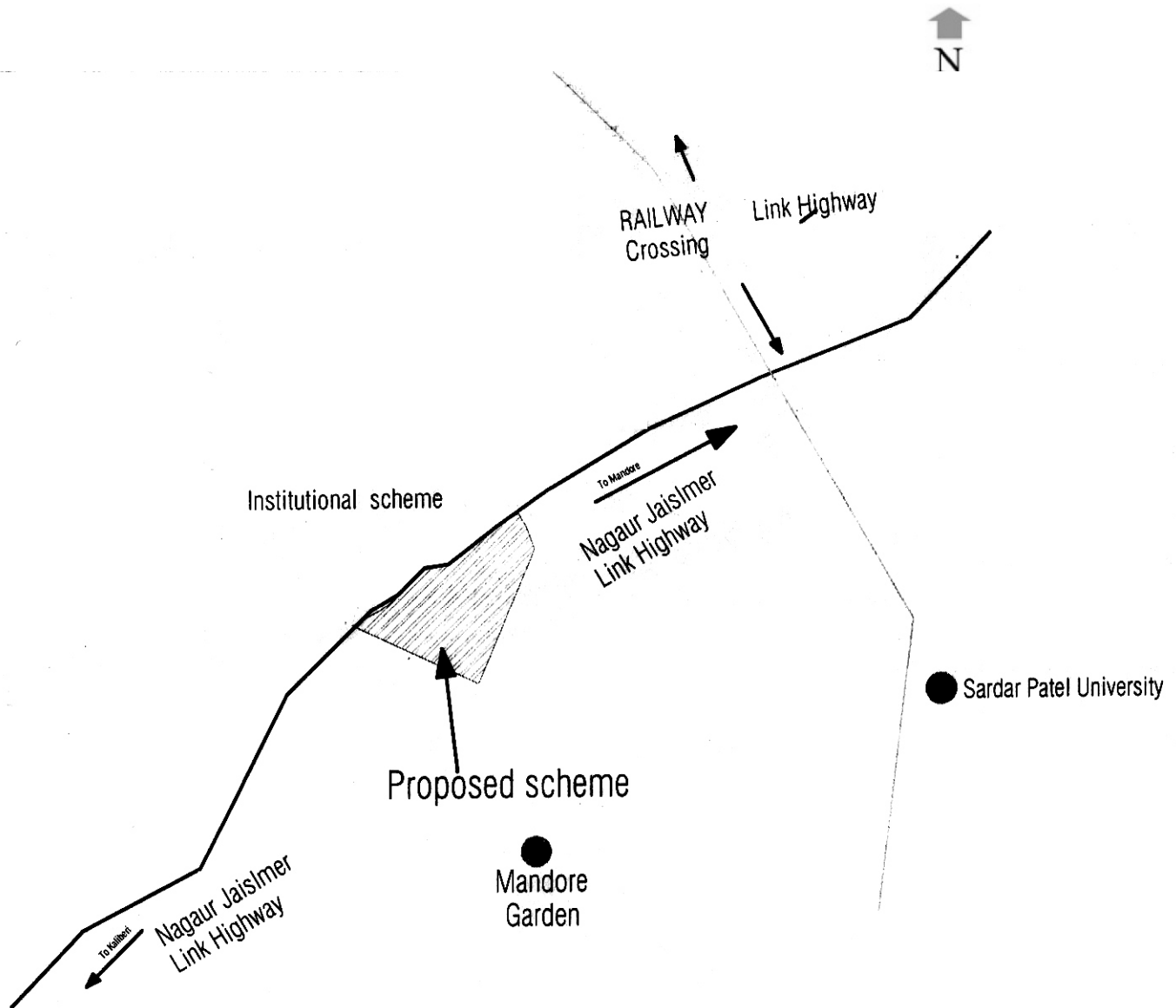
जोधपुर विकास प्राधिकरण

दुर्गेश कुमार बिस्सा_{RAS}

सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण

MANDALNATH RESIDENTAL SCHEME



KEY PLAN

Distance From-
Mandore Garden - 10 KM
Railway Station- 20 KM



START LIVING YOUR DREAM

Home Loan* from HDFC Ltd. turns your dream home into reality!

Getting your own house was never this easy

» Competitive » Flexible » Fast

All loans from HDFC Ltd.

For more details contact :

HDFC BANK LIMITED
9th CHOPASANI ROAD
JODHPUR 342-003
CONTACT No.: 0291-5132134

*Conditions apply

Visit your nearest HDFC Bank branch or log on to www.hdfcbank.com
Credit at the sole discretion of HDFC Ltd.



We understand your world

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

आवेदन पत्र के साथ	लॉटरी के पश्चात्
1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण फार्म निर्धारित पंजीयन राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम उक्त बैंक में जमा होंगे। 2. फार्म के साथ पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति यदि हो तो फार्म के साथ संलग्न कर जमा करावें।	1. पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति 2. निवास प्रमाण पत्र 3. यदि आरक्षित वर्ग में आवेदन किया है तो संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें। 4. शेष राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/स्थानीय चैक/पै-आर्डर से भुगतान आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक में किया जावेगा।

ध्यान देने योग्य बातें

1. अनुमोदित आवासीय योजनाओं में ही भूखण्ड खरीदें।
2. नियमानुसार नियमन शुल्क जमा करवाकर पट्टा प्राप्त करें।
3. नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करावें।
4. नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर भूखण्डों का हस्तांतरण करें।
5. अवैध अनियमित योजनाओं में भूखण्ड नहीं खरीदें।
6. कोई भी भूखण्ड खरीदने से पूर्व बेचानकर्ता/विकासकर्ता/डीलर से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान मांगें।
7. भूखण्ड खरीदने से पूर्व ले-आउट आवश्यक देखें, निर्धारित शुल्क पर भुगतान कर जोधपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित ले-आउट प्लान की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है।
8. अनुमोदित योजनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण की भूमि रूपान्तरण शाखा से सम्पर्क करें।

अपने राजस्थान की संस्कृति एवं पर्यावरण से प्रेम करें एवं उसकी रक्षा करें



जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने रातानाडा जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@rajasthan.gov.in

www.jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2615372

1. प्रस्तावना

शौर्य, पराक्रम और बहुरंगी संस्कृति से धनी राजस्थान का गौरव जोधपुर जहां सूर्य नगरी के रूप में लब्ध प्रतिष्ठित हैं वही प्राचीनकाल से ही अपने अनुकरणीय नगर नियोजन के लिये भी ख्यात है। भुवन भास्कर जहां अपनी रश्मियों से सर्वप्रथम इस निराली नगरी को आलोकित करते हैं, वही इस पावन भूमि के साथ इसका ऐतिहासिक गौरव भी इसके उजाले को बहुगुणित करता है। 21 वी शताब्दी में चहुँदशी प्रगति के सोपान चढ़ कर जोधपुर ने विकास के कई आयाम स्थापित किये हैं। वर्तमान में शहर के आशातीत विस्तार के साथ ही बढ़ रही आवासीय सुविधाओं की जरूरत को साकार करने की दिशा में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री मण्डलनाथ आवासीय योजना बनाई गई है जो नगर नियोजन की अति आधुनिक विशेषताओं से परिपूर्ण होगी। राजस्थान सरकार के नियोजित एवं परिपूर्ण विकास तथा सब के लिए आवास की नीति के निर्देशों के क्रम में योजना के पर्यावरण संरक्षण, जन सुविधाओं एवं निम्न तथा कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ता भूखण्ड उपलब्ध कराने की दृष्टि से सभी आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

मण्डलनाथ आवासीय योजना जोधपुर के राजस्व ग्राम पालडी खिचियान के खसरा संख्या 93/10, में स्थित है। योजना जोधपुर रेल्वे स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

मण्डलनाथ आवासीय योजना में लोगों को नियोजित ढंग से बसाने के लिये आधुनिकतम सुविधाओं के विकास, रचनात्मक कार्यों हेतु स्थान एवं व्यवस्था उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान रखा गया है। उक्त योजना में आवासीय जल निकासी एवं सीवरों की सुचारु व्यवस्था की गई है। योजना में विद्युत एवं पेयजल हेतु सुचारु व्यवस्था की गई है। पेयजल के रूप में नहरी स्वच्छ उपचारित पानी उपलब्ध होगा। उक्त योजना में आवासीय सुविधाओं के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण के प्रति मानवीय नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए नियमानुसार क्षेत्र में पार्क एवं पर्यावरण संरक्षण पार्क प्रस्तावित किये हैं। योजना में सड़क के साथ साथ वृक्षारोपण करते हुए हरियाली का पर्याप्त ध्यान रखा गया है विश्वास है जोधपुर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामरिक, और रचनात्मक रूप से अब तक जो पहचान रही है उसमें सर्वथा नया अध्याय जोड़ने में यह योजना कारगर ही नहीं, कामयाब भी साबित होगी।

2. व्यापक सुविधा क्षेत्र /सामुदायिक सेवाएँ

मण्डलनाथ आवासीय योजना में व्यापक सुविधाएँ सामुदायिक सुविधाएँ हेतु 38982.77 वर्गगज भूमि क्षेत्र योजना में आरक्षित किया गया है, जिसमें विद्यालय, चिकित्सालय एवं जन सुविधाएँ विकसित की जानी प्रस्तावित है।

3. मण्डलनाथ आवासीय योजना मान चित्र में भू उपयोग क्षेत्रफल का विश्लेषण निम्नानुसार है

क्र.सं	विवरण	प्रतिशत
1.	आवासीय	45.38
2.	सुविधायें (O.C.F./P.U.)	10.02
3.	पार्क	13.50
4.	व्यवसायिक	04.07
5.	सड़कें	27.03
6.	कुलक्षेत्र	100.00

4. योजना में आवंटन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड

क्र.सं.	भूखण्डों का आकार	आकार वर्ग मीटर	आकार वर्गगज	भूखण्डों की संख्या
1	15' X 30'	41.81	50.00	93
2	20' X 40'	74.32	88.89	34
3	30' X 60'	167.22	200.00	208
4	40' X 60'	222.97	266.67	269
5	50' X 70'	325.16	388.89	47
6	50' X 90'	418.06	500.00	47
कुल				698

5. आय वर्गवार निर्धारित भूखण्डों का विवरण एवं भूखण्डों की देय कीमत निम्नानुसार है।

क्र.सं.	आवेदक का वर्ग	प्लॉट की साईज व व.मी. से अधिक न हो	वसूली योग्य दर
1	अल्प आय वर्ग 'ए' (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जिनकी आय 10,000/-प्रतिमाह से अधिक न हो	45 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत
2	अल्प आय वर्ग 'ब' जिनकी आय 10,001 से 15,000/- प्रतिमाह तक हो	46 से 90 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य का 60 प्रतिशत
3	मध्यक आय वर्ग जिनकी आय 15,001/- से 30,000/- प्रतिमाह तक हो	91 से 220 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य पर
4	मध्यम आय वर्ग 'ए' जिनकी आय 30,001/- से 45,000/- प्रतिमाह तक हो	221 से 350 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य का 115 प्रतिशत
5	मध्यम आय वर्ग 'बी' जिनकी आय 45,001/- से 65,000/- प्रतिमाह तक हो	351 से 500 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य का 130 प्रतिशत

ध्यान रहे आय वर्ग के निर्धारण का आधार आवेदक की सकल मासिक आय है योजनान्तर्गत 65,000/- प्रतिमाह से अधिक सकल आय वाले व्यक्ति आवेदन हेतु पात्र नहीं है।

6. योजना की आरक्षित दर

राजस्थान नगरीय विकास निकाय (भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 6 के तहत योजना में भूखण्डों की आरक्षित दर प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

आवासीय :- 1600/- रु प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।

7. लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी आवंटन व्यवस्था

योजना में भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा। लॉटरी राज्य सरकार के संस्थान एन.आई.सी द्वारा सार्वजनिक रूप से निकाली जायेगी व परिणाम जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाले जायेंगे।

8. पात्रता

1. आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन पत्र जमा करवाने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
3. आवेदक का भारत में स्थित किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक आवेदन पत्र में उसका विवरण अवश्य भरें। यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के के.वाई.सी. मानको का पालन किया है।
4. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित स्थाई खाता संख्या पैन होना चाहिए। (जिस पर लागू हो)

9. सकल आय ही पात्रता का आधार

भूखण्डों की कीमत आवेदक की प्रमाणित सकल आय (Gross Income) पर निर्भर है। आवेदकों के आय वर्ग निर्धारण हेतु आय की संगणना आवेदक की दिनांक 01.04.2015 को कुल मासिक आय के आधार पर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी।

(क) स्वयं के लिये

1. वेतन, विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता आदि से सकल आय।
2. गृह/सम्पत्ति/व्यापार/व्यवसाय/पेशे कृषि आदि से सकल आय।
3. विनियोग से ब्याज द्वारा अर्जित आय।
4. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में सम्मिलित करने योग्य हो।

(ख) उपर्युक्त (क) 1 से 04 तक के संबंध में पति/पत्नी की आय (सकल आय में पति, पत्नी व आश्रित की आय सम्मिलित होगी)

(ग) उपर्युक्त (क) 1 से 04 तक के संबंध में आश्रितों की आय (सकल आय में पति, पत्नी व आश्रित की आय सम्मिलित होगी)

निर्धारित प्रपत्र में ही निर्धारित अधिकारी से हस्ताक्षरित आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे एवं आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

नोट:-

1. आवंटन के लिए उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
2. एक आवेदक किसी एक ही वर्ग (आय के अनुसार) के भूखण्ड पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। एक से अधिक आय वर्ग में आवेदन करने पर दोनों ही आवंटन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे।
3. आवेदन पत्र में आय वर्ग के कॉलम को भरते समय ध्यान रखें कि आपकी मासिक आय से भिन्न वर्ग में आवेदन करने पर/टिक करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा और गलत सूचना/मिथ्यावर्णन मानते हुए पंजीकरण राशि जप्त कर ली जावेगी। अतः आय के अनुसार निर्धारित वर्ग के भूखण्ड के लिए ही आवेदन करें।
4. कॉर्नर के भूखण्ड लॉटरी में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

10. भूखण्डों का आरक्षण

राजस्थान नगरीय निकाय (भूमि निष्पादन) नियम 1974 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड आरक्षण के प्रतिशत की तालिका नीचे दी गयी है। आवेदक जिस श्रेणी के अन्तर्गत भूखण्ड हेतु आवेदन करेंगे उन्हें उसी श्रेणी के लिए लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। किसी अन्य श्रेणी में उनका कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा आवेदक की पात्रता एक साथ दो आरक्षण वर्गों में होने पर भी आवेदक द्वारा जिस वर्ग में आरक्षण चाहा गया है उसी वर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जावे। एक साथ दो वर्गों में आवेदन करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये	सैनिक/सेवानिवृत्त सैनिक एवं सेवा काल के दौरान वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवायें एवं आश्रितों के लिये	अनुसूचित जाति के लिये	अनुसूचित जन जाति के लिये	निःशक्त जन के लिये	अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिये	सामान्य/ अनारक्षित
18 प्रतिशत	10 प्रतिशत	9 प्रतिशत	6 प्रतिशत	2 प्रतिशत	2 प्रतिशत	53 प्रतिशत

स्पष्टीकरण

- जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राज्य सरकार के विधिक निकायों/स्थानीय प्राधिकरणों/ राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीन कार्यरत है तथा राजस्थान के मूल निवासी है, उन्ही को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्र सरकार या उसके अधीन निकायों/प्राधिकरणों के कर्मिकों को सामान्य श्रेणी में माना जायेगा।
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति का सदस्य वह व्यक्ति है जो राजस्थान का मूल निवासी है तथा राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य किसी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- सैनिक का अर्थ थल सेना, नौ सेना, वायुसेना, बी.एस.एफ., केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार से है।
- सैनिकों की विधवाएँ वे हैं, जिनके पति की उक्तानुसार सुरक्षा बलों की सेवा में कार्यरत रहने के दौरान मृत्यु हो गई हो।
- अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं, जिन्हें राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई है।
- निःशक्तजन वे हैं जो शारीरिक अयोग्यता के कारण निःशक्त हो चुके हैं तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हैं।
- किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन सामान्य श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जावेगा।

1.1. आवेदन पत्र के साथ देय पंजीकरण राशि

क्र.सं.	आवेदक का वर्ग	भूखण्ड के आकार की पात्रता	वसूली योग्य दर (आरक्षित मूल्य रु.1600 प्रति व.मी.)	देय पंजीकरण राशि
1	अल्प आय वर्ग 'ए' (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जिनकी आय 10,000/-प्रतिमाह से अधिक न हो	45 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत	5000/-
2	अल्प आय वर्ग 'ब' जिनकी आय 10,001/- से 15,000/- प्रतिमाह तक हो	46 से 90 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य का 60 प्रतिशत	10000/-
3	मध्यम आय वर्ग जिनकी आय 15,001/- से 30,000/- प्रतिमाह तक हो	91 से 220 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य पर	20000/-
4	मध्यम आय वर्ग 'ए' जिनकी आय 30,001/- से 45,000/- प्रतिमाह तक हो	221 से 350 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य का 115 प्रतिशत	30000/-
5	मध्यम आय वर्ग 'बी' जिनकी आय 45,001/- से 65,000/- प्रतिमाह तक हो	351 से 500 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य का 130 प्रतिशत	40000/-

भूखण्ड का आकार विवरण पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 4 पर देखें

- चालान द्वारा सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से केवल बैंक ड्राफ्ट /पे-आर्डर जो जोधपुर में देय हो के माध्यम से ही जमा करायी जा सकती है। नकद/चैक स्वीकार नहीं होंगे।
- पे-आर्डर/ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम, पता, फार्म संख्या, आयवर्ग व आरक्षण श्रेणी तथा संपर्क केन्द्र दूरभाष नं. आवश्यक रूप से अंकित करें।

असफल आवेदकों की पंजीयन राशि उनके बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी जिसके लिए आवेदक को उसके बैंक खाते का हस्ताक्षर शुदा निरस्त एक चैक जमा कराना आवश्यक है।

1.2. मांगी गई राशि के भुगतान की प्रक्रिया

पंजीयन राशि को समायोजित करने के पश्चात शेष बकाया राशि आवंटन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर नकद एक मुश्त जमा करानी होगी।

नोट

- सफल आवेदकों की मांग राशि निर्धारित अवधि 30 दिवस में जमा नहीं होने की स्थिति में आवंटन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस गुजरने के बाद आगामी 60 दिवस तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज सहित जमा करवाई जा सकती है, किन्तु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा।
- आवंटन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 90 दिवस में उक्त राशि जमा न होने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा। भूखण्ड निरस्त करने की कोई सूचना जारी नहीं की जायेगी।
- राशि जमा करवाने की अवधि आवंटन पत्र प्राप्ति के दिन से प्रारंभ होगी अतः आवंटन पत्र प्राप्ति के हस्ताक्षर पर तिथि अंकित करें। व डाक का लिफाफा भी साक्ष्य हेतु संभाल कर रखें।

1.3. जमा पंजीकरण राशि पर देय ब्याज

1. सफल आवेदको की जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्राधिकरण आवंटित भूखण्ड के बदले अन्य भूखण्ड देने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
2. असफल आवेदक द्वारा अपनी जमा राशि 90 दिनों की समयावधि में प्राप्त कर लेना आवश्यक है, विलम्ब के लिये स्वयं आवेदक जिम्मेदार होगा।
3. असफल आवेदको को आवेदन पत्र जमा होने की अंतिम तिथि से 6 माह तक कोई ब्याज देय नहीं होगा। इसके पश्चात विलम्बित अवधि के लिये राशि वापसी की दिनांक तक 6 प्रतिशत ब्याज देय होगा। निरस्त हुए आवेदन पत्रों के आवेदको को कोई ब्याज देय नहीं होगा।

1.4. भूखण्ड की कीमत के अलावा अन्य जमा योग्य राशि

1. आपको निर्धारित दर से वार्षिक शहरी जमाबंदी (अरबन असेसमेन्ट) अगले वित्तीय वर्ष के लिये अग्रिम रूप से प्रति वर्ष 31 मार्च तक जमा करवानी होगी। शहरी जमाबंदी वर्तमान आरक्षित दर की 1.25 प्रतिशत प्रथम 05 वर्ष के लिये व इसके पश्चात 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगी। प्रथम वर्ष की जमाबंदी की राशि अग्रिम जमा करवानी होगी इस राशि के प्रतिवर्ष के भुगतान से मुक्त होने के लिये 2.50 प्रतिशत की दर से 8 वर्ष की एकमुश्त राशि जमा करवानी होगी।
2. राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय समय पर जो भी कर, किराया तय करती है वह आवेदक पर भी लागू होगा। आवेदक पर राज्य सरकार एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर प्रसारित नियम आदेश भी लागू होंगे।
3. स्थल मानचित्र के 100/-रु भूखण्ड की कीमत के अलावा जमा करवाने होंगे।

1.5. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें

1. एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक भूखण्ड के लिये या एक से अधिक श्रेणी में आवेदन करना वर्जित है। ऐसा करने पर मिथ्या घोषणा व कपट मानते हुए सभी आवेदन पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण अग्रिम राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. यदि आवेदक स्वयं, पति पति व आश्रित सदस्य द्वारा योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं एवं एक से अधिक सदस्य सफल होते हैं तो उस स्थिति में भूखण्ड परिवार के एक ही व्यक्ति को मिलेगा। शेष परिवार/आश्रित सफल आवेदकों के भूखण्ड आवंटन नहीं किये जायेंगे व जमा राशि में से 05 प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि लौटा दी जायेगी। आवंटित जिस सदस्य का भूखण्ड आप रखना चाहते हैं उसकी राशि आवंटन पत्र प्राप्ति से 30 दिवस में जमा करवानी होगी एवं एक ही भूखण्ड प्राप्त किये जाने का शपथ पत्र देना होगा।
3. भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किये जायेंगे।
4. सामान्यतया आवंटी आवंटित भूखण्ड का 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं कर सकता किन्तु यदि कोई व्यक्ति भूखण्ड को 10 वर्ष पूर्व विक्रय करना चाहता है तो ऐसे विक्रय के लिये उससे योजना की प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत की दर से शुल्क वसूल कर नियमानुसार किये गये विक्रय पत्र अथवा दस्तावेजों के आधार पर हस्तांतरण की अनुमति दे दी जायेगी।
5. आवंटी को लीजडीड पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा एवं पंजीयन विभाग के परिपत्र के अनुसार पट्टा जारी होने की दिनांक से 02 माह के अंदर पंजीयन करवाना होगा।
6. भूखण्ड आवंटी को 05 साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण करवाना होगा। अगर नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा आवंटी भविष्य में भूखण्ड आवंटन का पात्र नहीं होगा साथ ही उसके द्वारा जमा करवाई गई राशि जब्त कर ली जायेगी।

7. आवंटन में प्राप्त भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा अन्य किसी प्रायोजन में नहीं। आवंटन किये गये भूखण्ड का पुनः विभाजित अथवा एक से अधिक भूखण्ड को मिला कर एक बड़ा भूखण्ड नहीं बनाया जा सकता है।
8. नियम विरुद्ध एवं गलत सूचना देने पर आवेदन पत्र व आवंटन निरस्त किया जा कर भूखण्ड के पेटे जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी तथा उन्हें भविष्य में आवासीय भूखण्ड के लिये आवेदन करने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। साथ ही ऐसे आवेदनकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
9. प्राधिकरण बिना सूचना दिये हुए आवंटन की शर्त बदलने का हक रखता है एवं बिना सूचना दिये योजना का मानचित्र बदलने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा।
10. योजनान्तर्गत आवंटित भूखण्ड के आंतरिक विकास समतलीकरण सफाई आदि के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
11. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जोधपुर ही रहेगा।
12. इस योजना में भूखण्डों की खरीद हेतु बैंको/वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सकेगा, इस हेतु प्राधिकरण द्वारा ऋण उपलब्ध करवाने वाले बैंको/वित्तीय संस्थानों से त्रिपक्षीय अनुबंध किया जा सकेगा। त्रिपक्षीय अनुबंध का प्रारूप प्राधिकरण से प्राप्त किया जा सकता है त्रिपक्षीय अनुबंध प्राधिकरण द्वारा नियत प्रारूप में ही मान्य होंगे।
13. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण व विकास के लिये राज.नगरीय क्षेत्र (भवन विनियम) 2010, पर्यावरण स्वीकृति में लगायी गई शर्तों एवं समय समय पर राज्य सरकार/प्राधिकरण के निर्देशों की पालना बाध्यकारी होगी।
14. किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का निर्णय अंतिम होगा।
15. कृपया चालान की सभी प्रतियों में आपसे संबंधित जानकारी आवश्यक भरें।
16. आवेदन पत्र में आवेदक का नवीनतम रंगीन फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाकर चिपकाना आवश्यक है।
17. इन सभी प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस पुस्तिका में पीछे दिये गये हैं। अधिकारी श्रेणी व पद भी प्रारूप में दर्शाये गये हैं। इन प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में कोई त्रुटि नहीं करे अन्यथा आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। कृपया याद रखिये आप न तो भूखण्ड की वर्ग/माप के चयन को बदल सकते हैं और न ही अपूर्ण या बिना वांछित प्रमाण पत्रों के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करें, अथवा बांये हाथ के अंगुठे का निशान आवश्यक रूप से लगायें।
18. भविष्य में किये जाने वाले किसी भी पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित करें आपके पते में हुए परिवर्तन की सूचना सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को आवश्यक रूप से भिजवायें

16. आवेदन पत्र प्राप्त करने की विधि

जोधपुर शहर में HDFC बैंक शाखाओं की सूची

1. Chopasani Road	Swapnadeep, 57 - B, 9Th Chopasani Road Jodhpur-342003 Rajasthan India
2. Boranada	Plot No. 120, Opposite Neekanth White House Balaji nagar Boranada, Jodhpur-342012 Rajasthan India
3. Paota	Keshav Complex Plot No 15 Nimbera House Opp. Aastha Hospital, Paota, Jodhpur-342010 Rajasthan India

4. Basani-Saraswati Nagar	Rathi Chamber Opp. Krishi Mandi Basni, Saraswati nagar, Pali Road, Jodhpur-342005 Rajasthan India
5. Pal Road	1, Narpat Nagar, Opp. Passport Office Jodhpur Rajasthan India
6. Khokhariya	Plot No. 1, near Taj Gateway Hotel Khokhariya, Banar road, Jodhpur-342027 Rajasthan India
7. Sangariya	Gehlot Market Main Sangariya Fata Road Maliyoi ki Dhani Sangariya Jodhpur-342005 Rajasthan India
8. Nai Sarak	Behind Ansal Plaza Mall, Stadium Road, Jodhpur Rajasthan India

नोट: आवेदन पुस्तिका जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की वेबसाइट www.jodhpurjda.org से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पुस्तिका में संलग्न आवेदन प्रपत्र भर कर उपरोक्त एच.डी.एफ.सी. बैंक की किसी भी शाखा में जमा करवाये जा सकते हैं। ऑनलाईन डाउनलोड किये गये आवेदन प्रपत्र के साथ रुपये 500/- आवेदन पत्र के अतिरिक्त शुल्क बैंक में जमा करवाना होगा।

17. वेबसाइट पर सूचनाओं का प्रकाशन

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा योजना के आवेदन पत्रों की प्रारम्भिक जांच में निरस्त आवेदन पत्रों के आवेदकों की सूची जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर अवलोकनार्थ जारी की जावेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों की आवंटन से पूर्व मात्र प्रारम्भिक जांच ही की जावेगी। लॉटरी के बाद मात्र सफल आवेदकों के आवेदन पत्रों की पूर्ण जांच की जावेगी। जांच आवेदन पत्र अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अथवा निरस्त योग्य पाये जाने पर आवेदन पत्र व आवंटन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा तथा पंजीयन राशि जब्त कर ली जावेगी। योजना से संबंधित जानकारी समय समय पर प्राधिकरण की वेबसाइट www.Jodhpurjda.org पर प्राधिकरण द्वारा लिये जाने वाले निणर्य/निर्देश और सूचनाओं को उपरोक्त वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। कृपया आवश्यक सूचनाओं हेतु उक्त वेबसाइट का अवलोकन समय समय पर करते रहें।

18. कंट्रोल रूम

योजना के संबंध में पूछताछ हेतु दूरभाष नं. 0291-2656355, 2656356 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

आवेदन पत्र इस पुस्तिका के साथ में दिया गया है और यह पुस्तिका जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय द्वारा अधिकृत बैंकों की शाखाओं से 500/- रुपये नकद जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है।

19. आवेदन पत्र जमा करवाने की तिथि

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 18.06.2015 तक बैंक कार्यसमय में उल्लेखित बैंकों की शाखाओं में जमा करवाये जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

20. आवेदन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया

यदि कोई आवेदक लॉटरी से पूर्व पंजीकरण निरस्त करवाना चाहता है तो पंजीकरण राशि में से 05 प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि लौटा दी जायेगी इस हेतु आवेदक को लॉटरी की नियत दिवस से सात दिवस पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसके नाम का पंजीकरण निरस्त नहीं किया जायेगा।

2.1. भूखण्ड का आवंटन

आवेदको को उनसे प्राप्त आवेदन पत्रों के वर्ग के अनुसार लॉटरी निकाली जाकर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा। जो अंतिम एवं मान्य होगा। लॉटरी निकालने की प्रस्तावित दिनांक 02.07.2015 है जिसमें परिवर्तन होने पर समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में किसी प्रकार से कानूनी रूप से बाध्य नहीं होगा।

कृपया आवेदन पत्रों में आपका एवं आपके पिता/पति का नाम और पता स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में लिखें। संयुक्त नाम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

2.2. आवेदन पत्र भरने के लिये विशेष निर्देश

1. आवेदक अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखें।
2. आवेदक अपने पिता अथवा पति का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करें।
3. आवेदक अपने मनोनीत व्यक्ति का नाम एवं विवरण स्पष्ट रूप से अंकित करें।
4. आवेदक अपने परिवार की सकल मासिक आय का स्पष्ट रूप से अंकित करें एवं प्रस्तुत प्रमाण पत्र का उनसे मिलान करें। आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 06 में परिवार की कुल सकल आय के अनुरूप आयवर्ग/भूखण्ड के आकार के समक्ष सही कॉलम में टिक करें। इस संबंध में यदि परिवार में पति पत्नी एवं आश्रितों में एक से अधिक कमाऊ सदस्य हैं तो आवेदक पुस्तिका के विवरण अनुसार प्रत्येक सदस्य की सकल आय की पृथक पृथक गणना करते हुए (राज्य कर्मचारी के मामले में विभागाध्यक्ष द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए) निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक सदस्य के नाम सकल आय (राज्य कर्मचारी सहित) अंकित करते हुए पूरे परिवार की सकल आय का प्रमाण पत्र बनाये जावें एवं उसके अनुरूप वर्ग के भूखण्ड साईज के लिये आवेदन किया जावे। इसी अनुसार आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 6 में टिक किया जावें।

सकल आय की गणना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः उसकी गणना सावधानी पूर्वक की जावे एवं उसके अनुरूप आय प्रमाण पत्र संलग्न किया जावें। सकल आय के अनुरूप भूखण्ड के आकार का चयन कर आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। इस संबंध में सकल आय की गलत गणना अपार्याप्त एवं गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं गलत वर्ग में टिक करने अथवा आवेदन करने आदि स्थिति में जमा पंजीकरण राशि जब्त की जाकर किसी भी स्टेज पर (आवंटन के पश्चात भी) आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

5. आवेदक के पास अपना पैन नम्बर यदि हो तो आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करें।
6. आवेदक आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित आवेदन हेतु उपलब्ध विभिन्न आकार के भूखण्ड (वर्ग मीटर अनुसार) के लिए निर्धारित सकल आय की सीमा को ध्यान में रखते हुए भूखण्ड का चयन करें। सकल आय वर्ग अनुसार चयनित भूखण्ड आकार (वर्गमीटर) के अनुसार तालिका में सही वर्ग पर टिक करें एवं कॉलम में स्पष्ट रूप क्रॉस का निशान लगाया जावें।
7. आवेदक को आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित भूखण्ड के आरक्षण में विभिन्न वर्ग के तहत आरक्षण के प्रस्ताव की तालिका के अनुसार आवेदक जिस आरक्षित वर्ग के लिये पात्र है एवं जिस आरक्षित वर्ग के लिये आवेदन करना चाहता है उसी वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 07 के प्रथम कॉलम में संबंधित वर्ग पर टिक करें साथ ही एक से अधिक वर्ग पर टिक करने पर एवं जिस वर्ग में आरक्षण चाहा गया है उसका प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने पर अथवा गलत वर्ग में टिक करने पर आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा एवं पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी। आवेदन पत्र का निरस्तीकरण किसी भी स्टेज पर अथवा आवंटन के पश्चात भी किया जा सकता है।

8. आवेदक यदि जल, थल, वायुसेना, बी.एस.एफ./सी.आई.एस.एफ./सी.आर.पी.एफ. में कार्यरत है अथवा पूर्व सैनिक एवं उसके परिवार से संबंधित है तो बिन्दु संख्या 08 में टिक करें इस संबंध में प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करें सैनिक के अलावा मात्र बी.एस.एफ./सी.आई.एस.एफ./सी.आर.पी.एफ. का कार्मिक ही पात्र है इसके अलावा अन्य संगठनों के कर्मचारी उक्त आरक्षण के पात्र नहीं हैं अतः बिना पात्रता आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा उक्त सभी राजस्थान के मूल निवासी होकर मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
9. आवेदक आवेदन पुस्तिका आवेदन पत्र के साथ तय पंजीकरण राशि डी.डी. का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण अंकित करें एवं साथ में उक्त डी.डी की फोटो प्रति भी चालान के साथ संलग्न करें ।
10. आवेदक अपना पूर्ण पता स्पष्ट रूप से अंकित करें। इस संबंध में आवेदक अपना मोबाईल न., स्थाई पता एवं ईमेल का पता भी अवश्य अंकित करें।
11. प्रार्थी रिफण्ड हेतु बैंक शाखा का MICR & IFSC कोड भी आवश्यक रूप से अंकित करें ।
12. सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरित निम्नांकित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
 1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।
 2. निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी से प्रमाणित आय प्रमाण पत्र।
 3. राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रम के कर्मचारी होने का कार्यालाध्यक्ष का प्रमाण पत्र।
 4. सैनिक/सेवानिवृत्त सैनिक एवं सैनिकों की विधवा एवं सैनिक कल्याण बोर्ड से जारी आश्रित होने का प्रमाण पत्र।
 5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र।
 6. निःशक्तता प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी हो।
 7. जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा जारी अधिस्वीकृत पत्रकार होने का प्रमाण पत्र।

सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
फोन नं. 0291-2656356
Website : jodhpurjda.org

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

क्रमांक/

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
निवासी नगर/ग्राम तहसील जिला
राज्य जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित
जाति/ जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ जनजाति में शुमार है।

आज दिनांक को यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर तथा इस न्यायालय की मोहर से
जारी किया गया है।

(जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

हस्ताक्षर
तहसीलदार
कार्यालय की मोहर

नोट : सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है।

सैनिक एवं सैनिक की विधवाओं के लिए (आय प्रमाण पत्र के लिए मान्य नहीं है)

क्रमांक/

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... (रैंक)

(नाम) (नम्बर)

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... (जाति)

निवासी नगर/ग्राम जिला राज्य

अ- ये वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायुसेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कार्यरत है। इनकी मासिक आय रुपये प्रतिमाह है।

ब- ये सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा सेवानिवृत्ति के समय इनकी मासिक आय रुपये..... प्रतिमाह थी।

स- इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती..... है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रुपये प्रतिमाह थी।
इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

कमाण्डिंग ऑफिसर/सचिव
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :

दिनांक :

आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जावे।

वेतन प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे एवं आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

आय प्रमाण-पत्र (गैर सरकारी आवेदकों के लिए)

क्रमांक/

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/ पत्नि/पुत्री श्री जाति
निवासी नगर/ग्राम तहसील जिला
राज्य की स्वयं एवं पत्नी/पति तथा आश्रितों की सकल आय
(अखरे रूपये प्रतिमाह है।

प्रथम श्रेणी दण्डनायक/राजस्व तहसीलदार/

उपखण्ड अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी

/स्व अनुप्रमाणित।

दिनांक :

स्थान :

(इस केवल राजस्थान सरकार/ भारत सरकार के प्रथम श्रेणी दण्डनायक/ राजस्व तहसीलदार /उपखण्ड अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षर कराये जाने हैं। इसके अतिरिक्त स्व अनुप्रमाणित आय प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

- नोट:-
1. उक्त प्रमाण पत्र सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
 2. परिवार में एक से अधिक कमाऊ सदस्य होने पर प्रत्येक सदस्य का नाम, संबंध एवं सकल आय का पृथक-पृथक अंकन करते हुए कुल आय का प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

आय प्रमाण-पत्र (वेतन भोगी सरकारी आवेदकों के लिए)

क्रमांक/

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री इस विभाग में
पर पर कार्यरत है एवं ये राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के स्थानीय प्राधिकरण/विधिक/निकाय/
उपक्रम रूपये (अखरे रूपये
मात्र प्रतिमाह है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी

के हस्ताक्षर मय मोहर विभाग/उपक्रम का नाम

दिनांक :

स्थान :

नोट:- 1. परिवार में एक से अधिक कमाऊ सदस्य होने पर प्रत्येक सदस्य का नाम, संबंध एवं सकल आय का पृथक-पृथक अंकन करते हुए कुल आय का प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

क्रमांक/

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
निवासी ग्राम/नगर
जिला की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी। ये शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति
है। इनकी निःशक्तता का प्रतिशत है।

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी

के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट: पूर्व में जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जा सकती है।

मूल निवास प्रमाण-पत्र

क्रमांक/

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
निवासी
ग्राम/नगर जिला
राज्य का मूल निवासी है।

स्थान:-

दिनांक :-

उप जिला मजिस्ट्रेट/प्राधिकृत अधिकारी/

तहसीलदार के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट: गत तीन वर्षों में जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जा सकती है।

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण-पत्र

क्रमांक/

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री पद

निवासी

ग्राम/नगर जिला

अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रिण्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम:-

राज्य सरकार/जनसम्पर्क निदेशालय में पंजीकरण संख्या:-

अन्य विवरण:-

उक्त श्री की

अधिस्वीकृत पत्रकार हेतु वैधता अवधि दिनांक तक है। इनकी मासिक सकल पारिवारिक आय रुपये है।

स्थान :

दिनांक :

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

शपथ – पत्र (समस्त आवेदको के लिए)

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री आयु
निवासी ग्राम/नगर तहसील जिला
शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि –

1. मैं राजस्थान का मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
2. मैं राजस्थान नगरीय निकाय (भूमि निष्पादन)नियम 1974 एवं राज्य सरकार तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी नियमों/निर्देशों को स्वीकार करता हूँ।
3. मेरे द्वारा आवेदन पत्र का भलीभाँति अध्ययन कर लिया गया है। आवेदन की मेरे द्वारा स्वयं पूर्ति की गई है। आवेदन में दी गई समस्त सूचनाओं के लिये मे जिम्मेदार हूँ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री शपथ पूर्वक सत्यापित करता/करती
हूँ कि उपरोक्त कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सही व सत्य है। कोई भी तथ्य अथवा सूचना को छुपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री/श्रीमति/कुमारी
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ने उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज
दिनांक को ली है।

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक

(शपथ पत्र 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी
दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

मण्डलनाथ आवासीय योजना में भूखण्ड के पंजीकरण हेतु

सचिव

आवेदन - पत्र

आवेदन पत्र क्रमांक

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में)

Applicant's Name

(English Capital Letters)

(Surname)

नोट: रिफण्ड/आवंटन इसी नाम से किया जावेगा अतः नाम सही भर्ने

2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में)

Applicant's Father's/

Husband's Name

(English Capital Letters)

(Surname)

3. मनोनीत व्यक्ति का नाम, आयु व आवेदक से संबंध

नाम	आयु वर्ष	संबंध
-----------	----------------	-------------

4. परिवार की सकल मासिक आय (रु.)

(देखें आवेदन पत्र पुस्तिका का पृष्ठ सं 7)

5. पेन नम्बर (यदि हो तो)

6. आवेदक आय वर्ग सावधानी पूर्वक आय के अनुरूप ही टिक करें। भिन्न आय वर्ग अंकित करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा

क्र.सं.	आवेदक का वर्ग	भूखण्ड के आकार की पात्रता	वसूली योग्य दर (आरक्षित मूल्य रु. 1600 प्रति व.मी.)	देय पंजीकरण राशि
1	अल्प आय वर्ग 'ए' (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जिनकी आय 10,000/- प्रतिमाह से अधिक न हो	45 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत	5000/-
2	अल्प आय वर्ग 'ब' जिनकी आय 10,001/- से 15,000/- प्रतिमाह तक हो	46 से 90 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य का 60 प्रतिशत	10000/-
3	मध्यम आय वर्ग जिनकी आय 15,001/- से 30,000/- प्रतिमाह तक हो	91 से 220 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य पर	20000/-
4	मध्यम आय वर्ग 'ए' जिनकी आय 30,001/- से 45,000/- प्रतिमाह तक हो	221 से 350 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य का 115 प्रतिशत	30000/-
5	मध्यम आय वर्ग 'बी' जिनकी आय 45,001/- से 65,000/- प्रतिमाह तक हो	351 से 500 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य का 130 प्रतिशत	40000/-

7. आरक्षित श्रेणी में प्रथम कॉलम में किसी एक वर्ग में ही टिक (✓) अंकित करें एवं तत्पश्चात् द्वितीय कॉलम में संबंधित वर्ग शब्दों में भी लिखें। अन्य सभी कॉलम X क्रॉस करें।

राज्य कर्म. सैनिक अनु. जाति अनु. जनजाति

अधिस्वीकृत पत्रकार विकलांग सामान्य

कृ.पृ.उ.

8. यदि आवेदक सैनिक है तो किसी एक बॉक्स में टिक करें एवं तत्पश्चात संबंधित वर्ग शब्दों में लिखें ।
शहीद सैनिक की विधवा एवं आश्रित ☐ निःशक्त सैनिक ☐ अन्य सैनिक ☐
9. बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट नं. दिनांक / / राशि
बैंक का नाम जहां से ड्राफ्ट बनवाया गया शाखा शहर
बैंक का नाम जहां फार्म जमा करवाया गया शाखा शहर
10. पत्र व्यवहार का पता :-
प्लॉट नं. कॉलोनी का नाम गांव/शहर
पोस्ट ऑफिस तहसील/जिला राज्य
पिन कोड नम्बर मोबाईल नं. फोन नं.
ई-मेल पता
11. स्थाई पता :-
12. रिफण्ड हेतु आवेदनकर्ता निम्नलिखित सूचनाएँ अंकित करें (सहकारी बैंक के खाते के लिये यह सुविधा नहीं है):-
आवेदनकर्ता के बैंक खाता सं.
बैंक का नाम शाखा शहर/जिला
बैंक शाखा का MICR नं.
बैंक का IFSC Code No.
(कृपया बैंक शाखा का MICR एवं IFSC Code No. सही अंकित करें ताकि रिफण्ड लेने में आसानी हो)

12. संलग्न दस्तावेजों की सूची :-

क्र.सं.	संलग्न दस्तावेजों की सूची	संलग्न दस्तावेजों के आगे (✓) का चिन्ह लगावें
1	शपथ-पत्र निर्धारित प्रपत्र में	
2	आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में	
3	मूल निवास प्रमाण-पत्र	
4	अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रमाण पत्र	
5	राज्य कर्मचारी हेतु प्रमाण पत्र	
6	सैनिक/सैनिक की विधवाओं/विकलांग सैनिक के लिये प्रमाण पत्र	
7	निःशक्तता का प्रमाण पत्र	
8	अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिये प्रमाण पत्र	
9	कुल संलग्न दस्तावेज (अंकों एवं शब्दों में लिखें)	

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ मैंने योजना में भूखण्ड आवंटन से संबंधित सभी शर्तें भली प्रकार से पढ़ ली हैं तथा मुझे सभी शर्तें व नियम स्वीकार हैं । मैं प्रमाणित करता/करती हूँ की मैंने आवेदन पत्र में उपरोक्त वर्णित समस्त सूचनायें मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतया सही हैं इसमें कोई भी तथ्य गलत अंकित नहीं किये गये हैं तथा ना ही किसी तथ्य को छिपाने का प्रयास किया गया है ।

दिनांक :

स्थान :

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

मण्डलनाथ आवासीय योजना के आवेदन फार्म की चैक लिस्ट (आवेदक को भरनी है।)

आवेदन पत्र क्रमांक :

बिन्दु संख्या	विवरण	हाँ (✓)
1	आवेदक का नाम फार्म में हिन्दी व अंग्रेजी में (कैपिटल लेटर) में लिखा है।	
2	आवेदक के पिता या पति का नाम फार्म में हिन्दी व अंग्रेजी में (कैपिटल लेटर) में लिखा है।	
3	आवेदक द्वारा मनोनीत व्यक्ति का नाम, आयु, संबंध फार्म में लिखा है।	
4	आवेदक का चस्पा फोटो राजपत्रित अधिकारी या नोटेरी से प्रमाणित है।	
5	आवेदक के परिवार की सकल मासिक आय फार्म में लिखी है।	
6	आवेदक का पैन नं. फार्म में लिखा है। (यदि है तो)	
7	आवेदक ने परिवार की सकल आय अनुसार एक ही वर्ग में टिक किया है।	
8	आवेदक ने आरक्षित श्रेणी में किसी एक वर्ग में टिक (✓) किया है। अन्य को क्रास (X) किया है।	
9	ड्राफ्ट संख्या, दिनांक, राशि, बैंक नाम, शाखा, शहर फार्म में भर दिया है।	
10	पत्र व्यवहार का पता फार्म में भर दिया है।	
11	स्थाई पता फार्म में भर दिया है।	
12	रिफंड हेतु आवेदक के बैंक का खाता, बैंक का नाम, शाखा का नाम, शहर का नाम एवं बैंक का एम.आई.सी.आर. नं. एवं IFSC सही भर दिया है।	
13	संलग्न दस्तावेजों की सूची में टिक (✓) लगाकर दस्तावेज संलग्न कर दिये हैं।	
14	आवेदक द्वारा फार्म के अंत में हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी कर दिये हैं। दिनांक व स्थान भर दिये हैं।	
15	चैक लिस्ट संलग्न कर दी है।	

(आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी है)

हस्ताक्षर आवेदक

आवेदक का नाम

(प्राधिकरण की प्रति)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

मण्डलनाथ आवासीय योजना

(आवेदक द्वारा भरा जावेगा)

चालान क्रमांक

दिनांक

--	--

आवेदक का नाम

पिता/पति का नाम

आवेदक का वर्ग

आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल

ड्राफ्ट/बैंकर चैक का नं.

दिनांक

(जहां से बनवाया)

बैंक का नाम एवं शाखा

जमा राशि
(अंकों में)

--	--	--	--	--

शब्दों में

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

--

नोट :-

- ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता, फार्म नं. एवं आवेदित वर्ग अवश्य लिखें
- केवल ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-आर्डर सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पक्ष में देय स्वीकार्य होंगे।

(प्राधिकरण की प्रति)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

मण्डलनाथ आवासीय योजना

(आवेदक द्वारा भरा जावेगा)

चालान क्रमांक

दिनांक

--	--

आवेदक का नाम

पिता/पति का नाम

आवेदक का वर्ग

आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल

ड्राफ्ट/बैंकर चैक का नं.

दिनांक

बैंक का नाम एवं शाखा

जमा राशि
(अंकों में)

--	--	--	--	--

शब्दों में

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

--

नोट :-

- ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता, फार्म नं. एवं आवेदित वर्ग अवश्य लिखें
- केवल ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-आर्डर सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पक्ष में देय स्वीकार्य होंगे।

(बैंक की प्रति)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

मण्डलनाथ आवासीय योजना

(आवेदक द्वारा भरा जावेगा)

चालान क्रमांक

दिनांक

--	--

आवेदक का नाम

पिता/पति का नाम

आवेदक का वर्ग

आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल

ड्राफ्ट/बैंकर चैक का नं.

दिनांक

बैंक का नाम एवं शाखा

जमा राशि
(अंकों में)

--	--	--	--	--

शब्दों में

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

--

नोट :-

- ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता, फार्म नं. एवं आवेदित वर्ग अवश्य लिखें
- केवल ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-आर्डर सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पक्ष में देय स्वीकार्य होंगे।

(आवेदक की प्रति)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

मण्डलनाथ आवासीय योजना

(आवेदक द्वारा भरा जावेगा)

चालान क्रमांक

दिनांक

--	--

आवेदक का नाम

पिता/पति का नाम

आवेदक का वर्ग

आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल

ड्राफ्ट/बैंकर चैक का नं.

दिनांक

बैंक का नाम एवं शाखा

जमा राशि
(अंकों में)

--	--	--	--	--

शब्दों में

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

--

नोट :-

- ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता, फार्म नं. एवं आवेदित वर्ग अवश्य लिखें
- केवल ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-आर्डर सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पक्ष में देय स्वीकार्य होंगे।

जोधपुर महानगर बनने की ओर अग्रसर जोधपुर विकास प्राधिकरण का योगदान हर कदम पर।

विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना

- * भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
- * अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
- * राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान
- * राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
- * फुटवियर डिजाइन व डवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट
- * सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट
- * डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट
- * आयुर्वेद विश्वविद्यालय
- * उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र
- * भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र
- * शुष्क वन अनुसंधान केन्द्र

प्राधिकरण की नवीनतम उपलब्धियां

- * राजीव गांधी नगर आवासीय योजना
- * अफोर्डेबल हाऊसिंग योजना
- * मथुरादास माथुर अस्पताल में हृदय की बाईपास सर्जरी के लिए कार्डियोथोरोसिक सेन्टर का निर्माण।
- * विवेक विहार आवासीय योजना
- * कर्मचारी कॉलोनी मोगड़ा कलां
- * खतरनाक पुलिया स्थित आर.यू.बी
- * पावटा बी रोड़ स्थित आर.यू.बी